

53

160

10

माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वा लिबर सर्किटकोर्ट रीवा

R.5039-दा.15

जिलारीवा, ₹ 1000/-



19/201

- 1:- हीरामणि पिता सरजप्रसाद ब्रा० उम्र 62 साल,
- 2:- मोहनलाल पिता सरजप्रसाद ब्रा० उम्र 60 साल,
- 3:- जयप्रकाश पिता सरजप्रसाद ब्रा० उम्र 55 साल,

सभी का पेशा खेती, क्रमांक-1, 2 निवासी ग्राम व षो० डेल्ही,
 थाना व तहसील मनगवां, जिलारीवा, ₹ 1000/- व क्रमांक-3
 निवासी ग्राम नगडा, षो० मनगवां, थाना व तहसील मनगवां,
 जिला रीवा, ₹ 1000/-

निगरानीकर्ता/आवेदकगण

बनाम

- 1- गो विन्दप्रसाद पिता संकाप्रसाद ब्रा० उम्र 70 साल,
- 2- रमोला देवी पति चन्द्रमणि प्रसाद ब्रा० उम्र 75 साल,
- 3- देवराज पिता संकाप्रसाद ब्रा० उम्र 68 साल,
 सभी निवासी ग्राम व षो० डेल्ही, थाना व तहसील मनगवां,
 जिलारीवा, ₹ 1000/-
- 4- रेवमणि पिता सूर्य प्रसाद षटेल उम्र 65 साल, सा० कांटी, षो० डेल्ही,
 थाना व तहसील मनगवां, जिलारीवा, ₹ 1000/-
- 5- राजेन्द्रसोनी पिता जगदीश प्रसाद सोनी निवासी ग्राम नगमा, षो०
 मनगवां, थाना व तहसील मनगवां, जिलारीवा, ₹ 1000/-
- 6- ओम प्रकाश पिता वेदमणि ब्रा० उम्र 45 साल, निवासी ग्राम व षो०
 डेल्ही, थाना व तहसील मनगवां, जिला रीवा, ₹ 1000/-
- 7- कमला देवी पति लक्ष्मण प्रसाद ब्रा० उम्र 58 साल, निवासी ग्राम डेल्ही,
 थाना व तहसील मनगवां, जिलारीवा, ₹ 1000/-

निगमोपनिवेशिका
 दिनांक 09.09.15
 सिडर
 सर्किट कोर्ट रीवा

M
A

मोहन लाल

श्री राजेश कुमार

Om

ना
 सा० गण
 लिदार
 090 ज रिचे
 सांक-31-7415
 959 ई०।
 20/1/1

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ


प्रकरण क्रमांक निग0 5039- II / 2015

जिला-रीवा

हीरामणि वगैरः/ गोविन्द प्रसाद ब्रा0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री त्रिगुणसेन तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 05/अ-5/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p>	

M


(बी.एम.शर्मा),
सदस्य

